रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 2012/आषाढ़ 20, 1934

No. 349] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 2012/ASADHA 20, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 556(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें और जांच की प्रक्रिया) नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ।

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण (न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें और जांच की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2012' है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें और जांच की प्रक्रिया) नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) चयन समिति - अधिकरण के न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी :-

(क) विधि और न्याय मंत्री के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उच्चतम न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश - अध्यक्ष ;

(ख) अधिकरण का अध्यक्ष - सदस्य ;

(ग) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (चक्रानुक्रम में) - सदस्य ;

(घ) पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पर्यावरण नीति विशेषज्ञ - सदस्य ;

(ङ) पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वन नीति विशेषज्ञ - सदस्य ;

(च) सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य सचिव ।" ।

4. उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) में, "यदि आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति :

(i) पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अपर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय

(ii) पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अपर महानिदेशक वन, की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, और

(iii) सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पर्यावरण और वन मंत्रालय में उस विषय से संबंध रखने वाला संयुक्त सचिव, जो सदस्य-समन्वय होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6. वित्तीय या अन्य हित की घोषणा - (1) प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति पर इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में घोषणा करेगा कि उसका कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है ; या वह संस्थाओं में भारत सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड और स्वायत्त निकायों में सदस्य या किसी अधिकारी के रूप में सिफारिश करने के लिए और उन विषयों में विनिश्चय करने के लिए भी जहां पर्यावरण से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, और ऐसा प्रश्न राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के विनियामक कार्यान्वयन या भावी या निदेशकारी उपायों से उद्भूत होता है, जिससे कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है, संबंधित नहीं रहा है ।

(2) पहले से ही इस प्रकार नियुक्त न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य उन विनिश्चयों से, जिनमें हित का द्वंद्व है, (विमुख हो जाएंगे) अलग हो जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (5) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि, यथास्थिति, अध्यक्ष, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य की छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी भारत से बाहर यात्रा करने के लिए छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम होगा ।"

7. इन नियमों से उपाबद्ध 'प्ररूप' के स्थान पर निम्नलिखित 'प्ररूप' रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप

(नियम 6 देखें)

किसी प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के विरूद्ध घोषणा

मैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त होने पर सत्यनिष्ठा से और प्रतिज्ञान से घोषणा करता हूं कि मेरा कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है ; या मैं भारत सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड और स्वायत्त निकायों के स्तर पर सिफारिश करने में और उन विषयों में विनिश्चय करने में जहां पर्यावरण से संबंधित (पर्यावरण से संबंधित विधिक अधिकार के परिवर्तन सहित) सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और ऐसा प्रश्न राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के विनियामक या विहितकारी या निदेशकारी उपायों के कार्यान्वयन से उद्भूत होता है, जिससे राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य या विशेषज्ञ सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में मेरे कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, संबंधित नहीं रहा हूं ।"

तारीख :
स्थान :

(अध्यक्ष/न्यायिक सदस्य/विशेषज्ञ सदस्य का नाम)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण

[फा. सं. 17(1)/2010-पीएल]

IndiaCode

टिप्पण : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें और जांच की प्रक्रिया) नियम, 2010 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. सं. 927(अ), तारीख 26 नवम्बर, 2010 में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

G.S.R. 556(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 35 read with sub-section (3) of Section 6 of the National Green Tribunal Act, 2010 (No. 19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Green Tribunal (Manner of Appointment of Judicial and Expert Members, Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members and Procedure for Inquiry) Rules, 2010.

1. These rules may be called 'the National Green Tribunal (Manner of Appointment of Judicial and Expert Members, Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members and Procedure for Inquiry) (Amendment) Rules, 2012'.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. For rule 3 of the National Green Tribunal (Manner of Appointment of Judicial and Expert Members, Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members Rules, 2010 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be substituted, namely :—

"(3) Selection Committee.—The Judicial Members and Expert Members of the Tribunal shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Selection Committee comprising the following, namely :—

(a) Sitting Judge of the Supreme Court to be nominated by the Chief Justice of India in consultation with the Minister for Law and Justice—Chairperson;

(b) Chairperson of the Tribunal—Member;

(c) Director, Indian Institute of Technology, (By rotation)—Member;

(d) An expert in Environmental Policy to be nominated by the Minister for Environment and Forests—Member;

(e) An expert in Forests Policy to be nominated by the Minister for Environment and Forests—Member;

(f) Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment and Forests—Member-Secretary".

4. In rule 5 of the said rules, in sub-rule (3), for the words "if necessary, by the Central Government" the words "by a committee comprising :

(i) Additional Secretary, Ministry of Environment and Forests, to be nominated by the Minister for Environment and Forests,

(ii) An officer not below the level of Additional Director General of Forests, to be nominated by the Minister for Environment and Forests, and

(iii) Joint Secretary, dealing with the subject matter in the Ministry of Environment and Forests to be nominated by the Secretary, who shall be the Member-Convenor" shall be substituted.

5. For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"6. Declaration of financial or other interest.—(1) Every person, on his appointment as the Chairperson or the Judicial Member or the Expert Member, as the case may be, shall give a declaration in a form appended to these rules, to the satisfaction of the Central Government, that he does not have any such financial or other interests; or has not been involved either as Member or as an Official in institutions at the level of Government of India, State Government , Boards and Autonomous Bodies in making recommendations and also in decision-making in matters where a substantial question relating to environment (including enforcement of legal right relating to environment) is involved and such question arises out of the implementation of the regulatory or prescriptive or directory measures of the enactments specified in Schedule 1 of the National Green Tribunal Act, 2010, that are likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or the Judicial Member or the Expert Member, as the case may be.

IndiaCode

(2) The Judicial and Expert Members already so appointed shall withdraw (recuse themselves) from decisions that present potential conflicts".

6. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (5), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the leave sanctioning authority for the Chairperson, Judicial and Expert Member, as the case may be, shall be competent to sanction leave for travel outside India."

7. For 'Form' appended to the said rules, the following 'Form', shall be substituted, namely :—

"FORM

(See rule 6)

Declaration against acquisition of any adverse financial or other interest

I, having been appointed as the Chairperson or Judicial Member or Expert Member (cross out portion not applicable) of the National Green Tribunal, do solemnly affirm and declare that I do not have any such financial or other interests; or have not been involved either as Member or as an Official in institutions at the level of Government of India, State Government, Boards and Autonomous Bodies in making recommendations and also in decision-making in matters where a substantial question relating to environment (including enforcement of legal right relating to environment) is involved and such question arises out of the implementation of the regulatory or prescriptive or directory measures of the enactments specified in Schedule 1 of the National Green Tribunal Act, 2010, that are likely to affect prejudicially my functioning as the Chairperson or Judicial Member or Expert Member (cross out portion not applicable) of the National Green Tribunal."

Dated : (Name of the Chairperson/Judicial Member/Expert Member) National Green Tribunal

Place :

[F. No. 17(1)/2010-PL]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

Note : The National Green Tribunal (Manner of Appointment of Judicial and Expert Members, Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members and Procedure for Inquiry) Rules, 2010 were published in the Gazette of India *vide* notification No. G.S.R. 927(E), dated the 26th November, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.